उपखण्ड ... तारानगर चूरू

26/03/25 वकील प्रार्थी द्वारा मिसल पेशी पे लेने के प्रा० पत्र पर पत्रावली आज दिनांक को पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी द्वारा O.23 R.1 CPC का प्रा० पत्र पेश किया गया, जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वकील प्रार्थी की ओर से स्थायी निषेधाज्ञा व खाता विभाजन का वाद व प्रा० पत्र पेश किया गया है जिसमें पुनः नये वाद कारण/ कॉज ऑफ एक्शन के साथ वाद व प्रा० पत्र पेश करने की अनुमति के साथ उक्त विचाराधीन प्रा० पत्र वापस लेना चाहते है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। चूंकि प्रा० पत्र वर्तमान में तलबी की स्टेज पर विचाराधीन है व अप्रार्थीगण की तलबी तामील तक हुई नहीं है ऐसे वाद विड्रा कर नए सिरे से पुनः वाद पेश करने की अनुमति देने से किसी भी पक्षकार पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः O_{23} R_1 CPC का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है प्रार्थी को उक्त वाद विड्रा कर नये सिरे पुनः वाद व प्रा० पत्र पेश करने हेतु 15 दिवस का समय दिया जाता है पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर. दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू